

संचालनालय लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट (ए)/03/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/3)

भोपाल, दिनांक : 16-05-2018

जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला श्योपुर, देवास, ग्वालियर, खण्डवा, मण्डला, भोपाल, सिवनी  
म.प्र.।

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 1500-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में ।

-----00-----

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 1500-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	1. आर के सिंह कुशवाह, गणक (निलंबित), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला श्योपुर।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला श्योपुर म.प्र.। 4002003008	1,72,222
2202 सामान्य शिक्षा	2. नेहा जटार, सहायक ग्रेड-1, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास म.प्र.। 3102003001	2,14,659
01 प्रारंभिक शिक्षा	3. श्रीमती मधु शर्मा, गणक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वालियर।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वालियर म.प्र.। 3102003001	2,06,275
001 निदेशन और प्रशासन	4. दिवाकर उपाध्याय, लेखापाल, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला खण्डवा।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खण्डवा म.प्र.। 2102003052	1,27,002
1500 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय	5. श्री मदन कुमार झारिया, सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मण्डला।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मण्डला म.प्र.। 23020033001	63,817
8888 की स्थापना	6. श्री अनिल शिवहरे, गणक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल म.प्र.। 0522003001	3,76,748
V -	7. महेश कुमार नेमा, से.नि. मुख्य लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिवनी।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिवनी म.प्र.। 3602003001	2,50,000
11 -	8. श्री आलोक गौड़, गणक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर।	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वालियर म.प्र.। 1402003001	2,40,601
009 वेतन भत्ते चिकित्सा प्रतिपूर्ति	(अक्षरी राशि रु.सोलह लाख इक्यावन हजार तीन सौ चौबीस मात्र)		16,51,324/-

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1. मांग पत्रों में संलग्न किये अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान उपरान्त राशि आहरण की कार्यवाही की जावेगी।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. यदि रांगबधित को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया है तो समायोजन कर भुगतान किया जावे।

//02//

4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।
5. आवंटित राशि का आहरण अविलम्ब किया जावे।
6. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।  
"आयुक्त द्वारा स्वीकृत"

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक/बजट (ए)/03/चिकि.व्यय.प्रति./2018-19/32 भोपाल, दिनांक : 10.05.2018  
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र. ।
2. जिला कोषालय अधिकारी- श्योपुर, देवास, ग्वालियर, खण्डवा, मण्डला, भोपाल, सिवनी म.प्र. ।
3. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. ।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारीयों की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक (वित्त)  
लोक शिक्षण म.प्र.